सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर 2019-20 का रिपोर्ट

क	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या।	113
ख	निर्णयों की संख्या जहां आवेदन अनुरोधों के अनुसार दस्तावेजों तक पहुंचने सुनिश्चित की गई, अधिनियम के प्रावधान जिसके तहत ये निर्णय लिए गए थे और ऐसे प्रावधानों को कितनी बार लागू किया गया ।	110
ग	अपील की प्रकृति और अपील के परिणाम की समीक्षा के लिए केंद्रीय सूचना आयोग को संदर्भित अपीलों की संख्या	पुनरावलोकन के लिए चार अपीलें सीआईसी को स्थानान्तरित की गई।
घ	इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी भी अधिकारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण।	शून्य
ङ	इस अधिनियम के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एकत्र किए गए शुल्क की राशि।	320 रुपए /-
च	सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा इस भावना को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए किए गए प्रयासों को इंगित करने वाले विवरण।	एमएसटीसी लिमिटेड के पास वेब पोर्टल https://rtionline.gov.in के माध्यम से आवेदन और अपील प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल है। संगठन ने एक पारदर्शिता अधिकारी, एक प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रधान कार्यालय में एक नोडल अधिकारी को नामित किया है। साथ ही प्रत्येक क्षेत्र/शाखा कार्यालय में कंपनी के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त आरटीआई आवेदन को प्रभावी ढंग से संसाधित करने के लिए एक पीआईओ और एक एपीआईओ है। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन से प्राप्त आरटीआई आवेदन और अपील दोनों को हमारे अंत में संसाधित किया जाता है।
छ	सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव, जिसमें विकास, सुधार, आधुनिकीकरण, अधिनियम या अन्य कानून या सामान्य कानून में संशोधन या परिचालन के लिए किसी अन्य प्रासंगिक मामले के लिए आवश्यक सुधार शामिल हैं, सूचना तक पहुंच का अधिकार	कोई टिप्पणी नहीं।